न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **86/15 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2015/00468

अनवान्

1. श्री ठाकूरजी स्थान देह खातेदार शाश्वत नाबालिग जरिए वाद मित्र श्यामदास पिता वरदूदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी मावली गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

1/1 श्री हरिदास पिता श्यामदास वैष्णव निवासी मावली तह. मावली।
1/2 श्री सत्यनारायण पिता श्यामदास वैष्णव निवासी मावली तह. मावली।
1/3 श्री विष्णु पिता श्यामदास वैष्णव निवासी मावली तह. मावली।
1/4 श्रीमती निर्मला पुत्री श्यामदास पत्नी गोपालदास वैष्णव निवासी फाचर तह. वल्लभनगर।
1/5 श्रीमती रेखा पुत्री श्यामदास पत्नी सुरेश वैष्णव निवासी गायरियावास संतोषनगर तह. गिर्वा।
1/6 श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्यामदास वैष्णव निवासी मावली तह. मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बंशीदास पिता पूरणदास जी जाति वैरागी, आयु वयस्क, निवासी मावली गांव, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..................विपक्षी

उपस्थित—1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री रजनीकान्त मेहता, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 29.07.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मावली, पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित आराजी नम्बर 2549, 2550, 2551 किता 3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात श्री ठाकुरजी स्थान देह खातेदार के नाम पर अंकित है तथा श्री ठाकुरजी स्थान मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मैं प्रार्थी इनकी ओर से जरिए वाद मित्र यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. यह कि गांव मावली में वासीयो द्वारा भगवान श्री ठाकुर जी की आज से करीब 300 वर्षों पूर्व स्थापना की गई थी और इनकी सेवा पूजा का दायित्व मुझ प्रार्थी के पूर्वजो को सौंपा गया तब से ही मेरे पूर्वज एवं मैं प्रार्थी पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा कर अपने दायित्वो का सत्यनिष्ठा से निर्वहन करते आ रहे हैं तथा श्री ठाकुर जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:40 IST
Reason: SelfAttested

की पूजा अर्चना के बदले उनकी खातेदारी की भूमिया जिसमें वाद वर्णित कृषि भूमि भी सम्मिलित है, को उपयोग उपभोग हेतु मेरे पूर्वजो को सौंपी गई थी जिसका उपयोग उपभोग भी मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वज पीढी दर पीढी विरासत में प्राप्त अनुसार भूमियों पर गत 300 वर्षो से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करते आ रहे है और उक्त भूमियो को लगान भी जमा कराते आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि की सुरक्षा के लिये भूमि के चारो तरफ कांटो व थौहर बाड़ बना रखी है। उक्त भूमि वर्षो से हमारे परिवारजन के कब्जे में चली आ रही है जिसका अंकन भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की राजस्व जमाबन्दी में भी किया हुआ है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी का कोई हक व अधिकार नही है और न ही कभी रहा है। फिर भी विपक्षी नाजायज रूप से उक्त वर्णित जमीन को हड़पने की नियत से आये दिन उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते रहते है और अभी मुझ प्रार्थी ने उक्त वर्णित जमीन में मक्की, उडद, तिल्ली वगैरा की फसल बुवाई कराई थी जो अंकूरित हो चुकी थी जिसे विपक्षी ने जोर जबरदस्ती अनाधिकार रूप से प्रवेश कर ट्रेक्टर से हकवा नष्ट करवा दी और मुझ प्रार्थी ने विपक्षी को ऐसा करने से मना किया तो उसने मुझ प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा किया। जबकि विपक्षी का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नही है फिर भी मुझ प्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त अवैध कृत्य कर रहा है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ।

4. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी मेरे पूर्वजो को श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा के बदले में दी गई है जो निरन्तर पीढी दर पीढी मेरे पूर्वजो को विरासत से प्राप्त हुई, मुझ प्रार्थी को प्राप्त हुई है जिसपर मैं प्रार्थी बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूँ। जिसमें विपक्षी का कोई हक व अधिकार नही है लेकिन विपक्षी उक्त भूमि से मुझ प्रार्थी को नाजायज तरीके से बेदखल कर कब्जा करना चाह रहा है और इसी नियत से मेरे द्वारा उक्त जमीन में बुवाई गई फसलो को ट्रेक्टर से हकवा नष्ट करा दी और मना करने पर लडाई झगडा किया। जबकि ऐसा करने का विपक्षी को कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि विपक्षी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, प्रार्थी को बेदखल नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं होने से विपक्षी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:40 IST
Reason: SelfAttested

जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

5. यह कि प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 30.06.2015 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी द्वारा बुवाई की गई फसलो को ट्रेक्टर से हकवा कर नष्ट कर दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि विपक्षी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, प्रार्थी को बेदखल नही करे, नुकसान नही पहुँचावे, प्रवेश नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब मय प्रतिवाद पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने जिस भूमि का अंकन किया है इसके अलावा ठाकुर जी स्थान देह के नाम की अन्य भूमि आराजी नम्बर 662, 663, 664, 1589, 1590, 1591, 2199, 2204, 2205, 2527, 2529, 2530, 2531, 2532, 2549, 2550, 2551, 2680 कुल किता 19 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा लगानी 81 रूपया 85 पैसा है जो इसी मौजा में स्थित है। प्रार्थी ठाकुरजी का हितेषी नही है जिससे उसे हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानुनी अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि एवं खाता संख्या 818 की कुलिया 20 बीघा 03 बिस्वा भूमि हमारे पूर्वाधिकारी रणछोडदासजी के स्वामित्व आधिपत्य एवं उपभोग के अधिकार की थी। स्थान ठाकुर जी देह की मौजा मावली की भूमि पर पुर्वाधिकारी श्री रणछोडदास जब तक जीवित रहे तब तक उन्होने सेवा पूजा व अर्चना की। सेवा के बदले में उक्त वर्णित भूमि 20 बीघा 3 बिस्वा में कृषि कर अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। रणछोडदास के तीन पुत्र हुए नवलदास, राजुदास व लक्ष्मणदास। नवलदास व लक्ष्मणदास निसंतान फौत हुए। रणछोड़दास जी के आधिपत्य की सम्पूर्ण कृषि भूमि का उपयोग उपभोग राजुदास ने किया जो उन्होने अपने जीवनकाल तक कृषि भूमि का उपयोग उपभोग किया व राजुदास के मरने के बाद पुत्र मगनीराम पहले फौत हो गये व प्रेमदास कई वर्षों बाद फौत हुए। प्रेमदास के कोई संतान नही हुई। राजुदास की सम्पूर्ण भूमि का आधिपत्यधारी स्व० मगनीरामदास हुए व मगनीरामदास के मरणोपरान्त वरदूदास व पूरणदास हिस्सा बराबर से सम्पूर्ण भूमि 20 बीघा 3 बिस्वा के आधिपत्यधारी हुए एवं ठाकुरजी की दोनो ने मिलकर ओसरे अनुसार सेवा पूजा निरन्तर करते आये। इस समय दोनों भाई फौत हो चुके है। प्रार्थी के पिता वरदूदास ने किशो[illegible]ई के साथ जाति रिवाजानुसार शादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:40 IST
Reason: SelfAttested

जो उनकी विवाहिता पत्नी थी। कुछ वर्षों बाद श्रीमती गणेशीबाई को वरदूदास ने रखैल रख ली जिससे उनके एक पुत्र श्यामदास पैदा हुआ।

8. वरदूदास की विवाहिता पत्नी के नुतै से श्रीमती कमला व रूकमा पैदा हुई जिनकी शादी कर दी व श्रीमती कमला फौत हो गई व श्रीमती रूकमा ससुराल में आबादी होकर निवास कर रही है। इस प्रकार ठाकुरजी देह स्थान की कुलिया भूमि 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर वरदुदास एवं पुरणदास के वारिस हिस्सा बराबर से कुलिया भूमि पर काश्त कर पैदावार लेते चले आ रहे है। वरदूदास व पूरणदास के बीच खेती करने को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न होने से उन्होने दिनांक 01.12.1984 को दोनों भाईयों ने मिलकर उक्त कुलिया 20 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि का बंटवाड़ा दोनों भाईयों के मध्य आपसी समझौते से पारिवारीक बंटवारा कर लिखापढी कर ली व तद्नुसार दोनों भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये व उनके मरणोपरान्त उनके वारिस भी अपने पूर्वाधिकारीयों के कब्जेनुसार, भूमि के बंटवारे अनुसार कृषि भूमि को काम में लेते आ रहे है। दोनों पक्षकारों के बीच पारिवारीक बंटवारा (फारत्ती) अनुसार कृषि कर पैदावर लेते आ रहे है। दोनों के मध्य हुए बंटवारे से विपक्षी बंशीदास के हिस्से में आराजी नम्बर 2549, 2550, 2551, 2904 रकबा 8 बीघा का आधा हिस्सा उक्त आराजी के दक्षिणी भाग वाला हिस्सा स्वतन्त्र आधिपत्य में रहा। शेष भूमि प्रार्थी के स्वतन्त्र आधिपत्य में रही। इसी अनुसार आज दिनांक तक उक्त भूमि में विपक्षी व प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के मन में दुर्भावना व बदनियति आने से व मेरे हिस्से कब्जे की भूमि को जबरन हडपने की नियत से मिथ्या कथनों के सहारे व झूठे मुकदमों के सहारे तंग व परेशान करने पर तुला हुआ है। कथित आपसी समझौता लिखापढी दोनो पक्षों के बीच आपस में करीब 32 वर्ष पूर्व होने से कथन निष्पादित दस्तावेज के अनुसार कानुनी रूप से दोनों पक्ष लॉ ऑफ स्टोपल के सिद्धान्त के आधार पर भी हुए बंटवारे को मानने के लिये बाधित है।

9. प्रार्थी का प्रार्थना वर्णित भूमि में आधिपत्य नही रहा। ऐसी दशा में प्रार्थी को विपक्षी के विरुद्ध निषेधाज्ञा का वाद व प्रार्थना पत्र लाने का कोई कानुनी अधिकार नही है। कब्जे के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व वाद पोषणीय नही होने से निरस्तनीय योग्य है। प्रार्थी विपक्षी को किसी भी तरह अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। इतना ही नही प्रार्थी ने इस कलम में अस्थाई निषेधाज्ञा में आवश्यक तत्वों का, प्राईमाफैसी केस, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आदि के बिन्दू का जिक्र नही किया। यह तीनों ही बिन्दू मुझ विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय योग्य है। दिनांक 30.06.2015 को मुझ विपक्षी के खिलाफ किसी प्रकार की बिनाय प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:40 IST
Reason: SelfAttested

पैदा नही होती है। केवल मात्र मेरे खिलाफ दावा बनाने की नियत से गलत तथ्यों का अंकन किया है।

10. अन्त में प्रार्थी की इस्तदुआ है जो पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी विपक्षी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें एंव विपक्षी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावें।

11. विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली तहसील मावली में 662, 663, 664, 1589, 1590, 1591, 2199, 2204, 2205, 2527, 2529, 2530, 2531, 2532, 2549, 2550, 2551, 2680 कुल किता 19 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा लगानी 81 रूपया 85 पैसा भूमि ठाकुरजी देह के नाम पर खातेदारी की हैसियत से अंकित चली आ रही हैं ताईद में जमाबन्दी नकल पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मुझ विपक्षी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी रणछोड़दास के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। रणछोडदास का सजरा खानदान इस प्रकार है कि स्थान ठाकुर जी देह की मौजा मावली की भूमि पर पुर्वाधिकारी श्री रणछोडदास जब तक जीवित रहे तब तक उन्होने सेवा पूजा व अर्चना की। सेवा के बदले में उक्त वर्णित भूमि 20 बीघा 3 विस्वा में कृषि कर अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। रणछोड़दास के तीन पुत्र हुए नवलदास, राजुदास व लक्ष्मणदास। नवलदास व लक्ष्मणदास निसंतान फौत हुए। रणछोड़दास जी के आधिपत्य की सम्पूर्ण कृषि भूमि का उपयोग उपभोग राजुदास ने किया जो उन्होने अपने जीवनकाल तक कृषि भूमि का उपयोग उपभोग किया व राजुदास के मरने के बाद पुत्र मगनीराम पहले फौत हो गये व प्रेमदास कई वर्षों बाद फौत हुए। प्रेमदास के कोई संतान नही हुई। राजुदास की सम्पूर्ण भूमि का आधिपत्यधारी स्व० मगनीरामदास हुए व मगनीरामदास के मरणोपरान्त वरदूदास व पूरणदास हिस्सा बराबर से सम्पूर्ण भूमि 20 बीघा 3 बिस्वा के आधिपत्यधारी हुए एवं ठाकुरजी की दोनो ने मिलकर ओसरे अनुसार सेवा पूजा निरन्तर करते आये। इस समय दोनों भाई फौत हो चुके है। प्रार्थी के पिता वरदुदास ने किशोरबाई के साथ जाति रिवाजानुसार शादी की जो उनकी विवाहिता पत्नी थी। कुछ वर्षों बाद श्रीमती गणेशीबाई को वरदूदास ने रखैल रख ली जिससे उनके एक पुत्र श्यामदास पैदा हुआ। वरदूदास की विवाहिता पत्नी के नुत्फै से श्रीमती कमला व रूकमा पैदा हुई जिनकी शादी कर दी व श्रीमती कमला फौत हो गई व श्रीमती रूकमा ससुराल में आबादी होकर निवास कर रही है। इस प्रकार ठाकुरजी देह स्थान की कुलिया भूमि 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर वरदूदास एवं पुरणदास के वारिस हिस्सा बराबर से कुलिया भूमि पर काश्त कर पैदावार लेते आ रहे है। वरदूदास व पूरणदास के बीच खेती करने को लेकर ऑफिस में विवाद उत्पन्न होने से उन्होने दिनांक 01.12.1984

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:40 IST
Reason: SelfAttested

को दोनों भाईयों ने मिलकर उक्त कुलिया 20 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि का बंटवाड़ा दोनों भाईयों के मध्य आपसी समझौते से पारिवारीक बंटवारा कर लिखापढी कर ली व तद्नुसार दोनों भाई अपने अपने हिस्से पर काबिज हो गये व उनके मरणोपरान्त उनके वारिस भी अपने पूर्वाधिकारीयों के कब्जेनुसार, भूमि के बंटवारे अनुसार कृषि भूमि को काम में लेते आ रहे है। दोनों पक्षकारों के बीच पारिवारीक बंटवारा (फारत्ती) अनुसार कृषि कर पैदावर लेते आ रहे है। दोनों के मध्य हुए बंटवारे से विपक्षी बंशीदास के हिस्से में आराजी नम्बर 2549, 2550, 2551, 2904 रकबा 8 बीघा का आधा हिस्सा उक्त आराजी के दक्षिणी भाग वाला हिस्सा स्वतन्त्र आधिपत्य में रहा। शेष भूमि प्रार्थी के स्वतन्त्र आधिपत्य में रही। इसी अनुसार आज दिनांक तक उक्त भूमि में विपक्षी व प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी के मन में दुर्भावना व बदनियति आने से व मेरे हिस्से कब्जे की भूमि को जबरन हडपने की नियत से मिथ्या कथनों के सहारे व झूठे मुकदमों के सहारे तंग व परेशान करने पर तुला हुआ है। कथित आपसी समझौता लिखापढी दोनो पक्षों के बीच आपस में करीब 32 वर्ष पूर्व होने से कथन निष्पादित दस्तावेज के अनुसार कानुनी रूप से दोनों पक्ष लॉ ऑफ स्टोपल के सिद्धान्त के आधार पर भी हुए बंटवारे को मानने के लिये बाधित है।

12. कि विपक्षी का प्रथम दृष्टया सुदृढ होने से आपस में हुए बंटवारा अनुसार विगत 32 वर्षों से हम पक्षकारगण अपने अपपने हिस्से की भूमि पर स्वतन्त्र ये काबिज हो खेती करते आ रहे है। विपक्षी के कब्जे की भूमि प्रार्थी विपक्षी को जबरन बेंदखल करने की आड़ में हटवाया जाना चाहता है जिससे प्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है अन्यथा मुझ विपक्षी को अपने जायज हक व अधिकारों से प्रार्थी वंचित कर देगा। ऐसी दशा में प्रार्थी को निष्पोधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है। विपक्षी के पक्ष में सुदृढ मामला, प्राइमाफैसी केस, सुविधा संतुलन व अशोधनीय हानि तीनों ही बिन्दू उसके पक्ष में है।

13. कि बिनाय प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम प्रार्थी द्वारा 03.07.2015 को प्रार्थना पत्र पेश करने से पैदा हुआ है जो निरन्तर जारी है। काउन्टर क्लेम का क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार न्यायालय आपको है।

14. अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी के पक्ष में प्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि काउन्टर क्लेम में वर्णित भूमि में विपक्षी के आधा हिस्सा जो बंटवारे में विपक्षी के उपयोग उपभेग में है जिसका वर्णन काउन्टर क्लेम में है उस अनुसार प्रार्थी विपक्षी के उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी नही करे, खेती करने देवें, फसले बोने व उसे प्राप्त करने में क्षति नही पहुँचावे, न ही उक्त कार्य स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:40 IST
Reason: SelfAttested

करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अन्य दाद जो कानुनी हो विपक्षी को दिलाई जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

15. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर खेती कर रहा हैं जिसमें विपक्षी, प्रार्थी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करता हैं। विपक्षी का प्रतिप्रार्थना पत्र खारिज कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिस भुमि का अंकन किया है इसके अलावा ठाकुर जी स्थान देह के नाम की अन्य भुमि आराजी नं–662, 663, 664, 1589, 1590, 1591, 2199, 2204, 2205, 2527, 2529, 2530, 2531, 2532, 2549, (2550, 2551, 2680, कुल किता 19 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा जो इसी मौजा में स्थित है इस प्रकार वर्णित भुमि खाता सं 818 की कुलिया 20 बिघा 3 बिस्वा भुमि हमारे पुर्वाधिकारी रणछोडदास जी के स्वामित्व की थी। सजरे अनुसार ठाकुर जी की सेवा पुजा व अर्चना जब तक रणछोडदासजी जीवित रहे उन्होने की वह उसी से परिवार का भरण–पोषण करते रहे। रणछोडदासजी के तीन पुत्र हुए नवलदास, राजुदास व लक्ष्मणदास। नवलदास व लक्ष्मणदास निसन्तान फौत हुए। रणछोडदासजी के आधिपत्य की भुमि के उपयोग राजुदास ने किया। राजुदास के मरने के बाद पुत्र मगनीराम पहले फौत हो गये। प्रेमदास कई वर्षों बाद फौत हुए। प्रेमदास के कोई सन्तान नही हुई। इसलिये राजुदास की सम्पूर्ण भूमि का आधिपत्यधारी मगनीरामदास हुआ। मगनीरामदास के मरने के बाद वरदुदास व पुरणदास हिस्सा बराबर से सम्पुर्ण भुमि 20 बीघा 3 बिस्वा के अधिकारी हुए, ठाकुर जी की दोनो ने मिलकर ओसरे अनुसार सेवा पुजा की। वर्तमान समय में दोनो भाई फौत हो चुके है। श्यामदास के पिता वरदुदास की विवाहिता पत्नी किशोरीबाई थी। कुछ समय पश्चात गणेशी बाई को वरदुदास ने रखेल रख ली जिससे श्यामदास पैदा हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी स्थान देह की कुलिया भुमि 20 बिघा 3 बिस्वा पर वरदुदास व पुरणदास के वारिस हिस्सा बराबर से काश्त कर पैदावार लेते आ रहे है।

16. यह कि वरदुदास व पुरणदास के बिच खेती करने को लेकर विाद होने से दिनांक 1/12/1984 को आपसी समझौते से पारिवारिक बटवाडा कर लिखापढी कर ली, दानो भाई अपने–अपने हिस्से पर काबिज हो गये व दोनो के मरने के पश्चात पारिस भी बंटवाडे अनुसार कृषी भुमि को काम में लेते आ रहे है। बंटवाडे अनुसार विपक्षी बंशीदास के हिस्से में आराजी नं 2549, 2550, 2551, 2904, रकबा 8 बीघा का आधा हिस्से में आया। शेष भुमि प्रार्थी के हिस्से आई, आपस में समझौता लिखापढी करीब 32 वर्षो पुर्व होने से निष्पादीत दस्तावेज के अनुसार का रूप से दोनो पक्ष लॉ ऑफ इस्टोपल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:55:40 IST
Reason: SelfAttested

सिद्वान्त के आधार पर भी हुए बंटवाडे को मानने के लिये बाधित है। विवादीत भुमि पुर्वजो की विरासत से प्राप्त हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित भुमि में कोई आधिपत्य नही रहा। न ही कभी काश्त की न ही कभी कब्जा रहा। कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आवश्यक तत्वो का प्रायमाफेसी केस सुविधा सन्तुलन एवं अपुर्णक्षति के बिन्दु का जिक नही किया है तीनो ही बिन्दु विपक्षी के पक्ष मे होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि दिनांक 30/6/2015 को विपक्षी के विरूद्ध कोई वादकारण पैदा नही होता बल्कि गलत तथ्यो का अंकन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कीया है।

17. यह कि विपक्षी ने प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया है जिसमे विपक्षी का प्रथम दृष्टया मामला सुद्रढ होने से बंटवाडा अनुसार विगत 32 वर्षों से अपने अपने हिस्से की भुमि पर स्वतन्त्र रूप से काबीज हो खेती करते आ रहे है। विपक्षी के कब्जे की मुमि प्रार्थी जबरन बेदखल करने की आड में हाटाना चाहता है जिससे प्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक है अन्यथा विपक्षी को अपने जायज हक व अधिकारो से प्रार्थी वंचित कर देगा। ऐसी दशा में प्रार्थी को निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक है। विपक्षी के पक्ष में सुदृढ मामला प्रायमाफेसी केस सुविधा सन्तुलन एवं अपुर्णक्षति तीनो ही बिन्दु विपक्षी के पक्ष में है।

18. यह कि वादवर्णित भुमि का खातेदार ठाकुर जी स्थान मुर्ति शाश्वत नाबालिक ठाकुर जी स्थान देह गांव मावली में होकर ठाकुर जी के आधिपत्य व स्वामित्व की है कथित भुमि का खातेदार कृषक नही होने से हस्तगत वाद व प्रार्थना पत्र लाने का उसे कोई कानुनी अधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र इसी कानुनी बिन्दु बार्ड बॉय ला होने से निरस्तनीय है। वादी/ प्रार्थी ने यह वाद व प्रार्थना पत्र जरीये वादमित्र की हैसियत से प्रस्तुत कीया है किन्तु आदेश 32 जा.दी में वर्णित आज्ञापक प्रापधानो को नजरअंदाज कर संरक्षक द्वारा न्यायालय से पुर्व में नियमानुसार अनुमती प्राप्त नही कर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय योग्य है प्रार्थी/वादी ठाकुर जी स्थान का हितेषी नही होने से वाद/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है।

19. यह कि वादी/प्रार्थी का कानुनन विपक्षी के विरूद्ध कीसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आपसी समझौता लिखापढी करीब 32 वर्षों पुर्व होने से निष्पादीत दस्तावेज के अनुसार कानुनी रूप से दोनो पक्ष लॉ ऑफ इस्टोपल के सिद्वान्त के आधार पर भी हुए बंटवाडे को मानने के लिये बाधित है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यव खारीज फरमाया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 13:55:40 IST
Reason: SelfAttested

20. हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। वादी द्वारा उक्त वाद ठाकूरजी स्थान देह खातेदार शाश्वत नाबालिग जरिये वाद मित्र पेश किया है। जिसके साथ उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है। ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली के राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 818 पर दर्ज वादग्रस्त आराजी नम्बर 662, 663, 664, 1589, 1590, 1591, 2199, 2204, 2205, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2549, 2550, 2551, 2680 किता 19 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि राज. श्री ठाकुरजी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि भगवान श्री ठाकुर जी की आज से करीब आज से करीब 300 वर्षो पूर्व स्थापना की गई थी और इनकी सेवा पूजा की दायित्व मुझ वादी के पूर्वजो को सौंपा गया तब से ही मेरे पूर्वज एवं मैं प्रार्थी पीढी दर पीढी भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा कर अपने दायित्वो का सत्यनिष्ठा से निवर्हन करते आ रहे है। विपक्षी नाजायज रूप से आराजी नम्बर 2549, 2550, 2551 किता 3 जमीन को हड़पने की नियत से आये दिन उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते रहते है। इसी प्रकार विपक्षी द्वारा भी काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खाद दान का सजरा प्रस्तुत किया है जिसमें श्यामदास को वरदुदास का पुत्र माना है। इससे जाहीर होता है कि प्रार्थी श्री श्यामदास एवं विपक्षी बंशीदास एक ही परिवार के सदस्य है। श्यामदास की मृत्यु होने से उसके वारिस प्रार्थी संख्या 1/1–1/6 रिकॉर्ड पर लिये गये है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार श्री ठाकुरजी स्थान देह है। वादमित्र एवं विपक्षी उक्त भूमि पर अपना अपना कब्जा बताकर पुजारी की हैसियत से काश्त करना बता रहे है। वादग्रस्त भूमि के किस आराजी पर किसका कब्जा है, उक्त भूमि पर पुजारी की हैसियत से कौन खेती कर सकता है उक्त बिन्दु मूल वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य साबूत से ही तय किये जा सकते है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जे संबंधी विवाद प्रतीत होता है। यदि उभय पक्षों को मौके संबंधी पाबंद नही किया जाता है तो मौके पर विवाद और अधिक बढने की संभावना प्रतीत होती है। यदि मूल वाद के निर्णय तक उभय पक्षों का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जाता है तो उससे किसी भी पक्ष को अपूरणीय क्षति नही होती है, साथ ही नये विवाद को, नये मुकदमेबाजी को भी रोका जा सकेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विपक्षी का काउण्टर प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 13:55:40 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आशिंक स्वीकार योग्य पाये जाते है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विपक्षी का काउण्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थीगण एवं विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली के राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी संवत 2068—71 के खाता संख्या 818 पर दर्ज वादग्रस्त आराजी नम्बर 662, 663, 664, 1589, 1590, 1591, 2199, 2204, 2205, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2549, 2550, 2551, 2680 किता 19 रकबा 20 बीघा 3 बिस्वा भूमि की मौके की यथास्थिति बनाए रखे। एक दूसरे के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 13:55:40 IST
Reason: SelfAttested